

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 5(53)/सीईओ/सम/डीईएस/2019/ 519

दिनांक 26/02/2020

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:- जनगणना-2021 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक होने की अधिसूचना के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका अ.शा. पत्रांक 9/7/2019-CD(Cen) दिनांक 14.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के निदेशानुसार भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की संलग्न अधिसूचना का.आ. 119(अ) एवं का.आ. 120(अ) दिनांक 07 जनवरी, 2020 को राज्य की गजट अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2020 को सर्वसाधारण की सूचना के लिये पुनः प्रसारित कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(डॉ. आनंद प्रकाश बेरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)।
8. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक :- F.No.I-11021/1/2019/ Census /59 दिनांक 05.02.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जनगणना-2021 मकानसूचीकरण का कार्य की अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवावें।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक),आई.टी. मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (समन्वय)



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 07, बुधवार, शाके 1941-फरवरी 26, 2020
Phalgun 07, Wednesday, Saka 1941-February 26, 2020

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 25, 2020

संख्या प.5 (53)/सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय नई दिल्ली की संलग्न अधिसूचना का.आ.119(अ) एवं का.आ.120(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये पुनः प्रसारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डी.बी. गुप्ता

मुख्य सचिव।

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ.119(अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना नियम, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2021 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक होना है।

[फा.सं. 9/7/2019-सीडी(सेन)/3]

विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार

एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

S.O.119(E).- In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2021 shall take place from the 1st April, 2020 to the 30th September, 2020 in India.

[F.No. 9/7/2019-CD(CEN), 3]

VIVEK JOSHI, Registrar General
and Census Commissioner, India

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ.120(अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37)की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2021 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात्:-

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
2. जनगणना मकान नंबर
3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के उपयोग
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. परिवार के मुखिया का लिंग
10. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
11. मकान के स्वामित्व की स्थिति
12. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
14. पेयजल का मुख्य स्रोत
15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्यस्रोत
17. शौचालय की सुलभता
18. शौचालय का प्रकार
19. गंदे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की उपलब्धता
21. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
24. टेलीविजन
25. इंटरनेट सुविधा
26. लैपटॉप/कम्प्यूटर
27. टेलीफोन/मोबाईल फोन/स्मार्ट फोन
28. साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
29. कार/जीप/वैन

30. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज

31. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

टिप्पणी: मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से मद सं. 6 और 7 परिवार के विवरणों (पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 31 केवल सामान्य परिवार से जिसमें से मद सं. 23, 24, 26, 27, 28 और 29 परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों से संबंधित है।

[फा.सं. 9/7/2019-सीडी(सेन)/3]

विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार

एवं जनगणना आयुक्त

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

S.O. 120(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the housenuming and housing census schedules in connection with the Census of India 2021, namely:-

1. Building number(Municipal or local authority or census number).
2. Census house number.
3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.
4. Ascertain use of census house.
5. Condition of the census house.
6. Household number.
7. Total number of persons normally residing in the household.
8. Name of the head of the household.
9. Sex of the head of the household.
10. Whether the head of the household belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other.
11. Ownership status of the census house.
12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
13. Number of married couple(s) living in the household.
14. Main source of drinking water.
15. Availability of drinking water source.
16. Main source of lighting.
17. Access to latrine.
18. Type of latrine.
19. Waste water outlet.
20. Availability of bathing facility.
21. Availability of kitchen and LPG/PNG connection.
22. Main fuel used for cooking.
23. Radio/Transistor.
24. Television.
25. Access to internet.
26. Laptop/Computer.
27. Telephone/Mobile Phone/Smartphone.
28. Bicycle/Scooter/Motorcycle/Moped.

29. Car/Jeep/Van.

30. Main Cereal consumed in the household.

31. Mobile Number (for census related communication only.)

Note:- Items 1 to 5 relate to building particulars, items 6 and 7 relate to household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to head of the household, and items 9 to 31 relate only to normal household of which items 23, 24, 26, 27, 28 and 29 relate to the assets of the household.

[F.No. 9/7/2019-CD(CEN)/3]
VIVEK JOSHI, Registrar General
and Census Commissioner, India

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।